भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3521
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमितताएं

3521. **श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फर्जी शोध-पत्रों, फर्जी प्रकाशनों, जाली प्रमाणपत्रों या अन्य दस्तावेजों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त शिकायतों में से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें जांच समितियां गठित की गई थीं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें जांच के पश्चात् नियुक्ति रद्द कर दी गई या अन्य प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई; और
(घ) पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या अन्य जांच एजेंसियों को सौंपे गए मामलों की संख्या कितनी है और भविष्य में शोध-पत्रों, प्रकाशनों और प्रमाणपत्रों के अनिवार्य डिजिटल सत्यापन सहित ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है और यह उसके तहत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फर्जी शोध पत्रों, फर्जी प्रकाशनों, जाली प्रमाणपत्रों या अन्य दस्तावेजों से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया है। तथापि, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (संध्या) और भारती कॉलेज में क्रमशः दो मामले दर्ज किए गए हैं। ज़ाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (संध्या) के मामले में, मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। भारती कॉलेज के मामले में, एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत प्रस्तुत की गई है और जांच समिति की सिफारिश पर महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विधिवत प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद संकाय को बर्खास्त कर दिया गया।
